

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103004222012

परिवाद प्रकरण क.-277 / 12

संस्थापित दिनांक-11.06.12

01-रतिबाई पुत्री भावसिंह कुशवाह उम्र 49 साल धंधा कृषि एवं गृहकार्य निवासी ग्राम विक्रमपुर तह0 चंदेरी।अभियोगी
विरुद्ध
01-रमाशंकर पुत्र रामेश्वर आयु 48 साल 02-उषाबाई पत्नी रमाशंकर आयु 44 साल 03-बृजेश पुत्र रमाशंकर आयु 18 साल। समस्त जाति ब्राह्मण समस्त धंधा खेती निवासी ग्राम विक्रमपुर तहसील चंदेरी।अभियुक्तगण
परिवादी द्वारा :- श्री जाफरी अधिवक्ता। आरोपीगण द्वारा :- श्री सुमन अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 09.08.2017 को घोषित)

01- परिवादी रतिबाई पुत्री भावसिंह कुशवाह द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह परिवाद पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 323, 294, 506 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का परिवादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 294, 323-दो बार के आरोप

से उन्मोचित किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 190 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— परिव्रादी का परिव्राद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि परिव्रादी रतिबाई ने आरोपीगण के विरुद्ध इस आशय का परिव्राद पत्र प्रस्तुत किया कि दिनांक 24.03.12 को जब वह फसल खेत पर कटवा रही थी तब आरोपीगण आए और फसल के उपर से उसे गाली-गलौच करने लगे। उसका भाई सिद्धी भी उसके साथ था। आरोपीगण परिव्रादी व उसके भाई के साथ गाली-गलौच करने लगे और उनके साथ आरोपीगण ने कुल्हाडी, लाठी से मारपीट की और पटक दिया। इसकी रिपोर्ट उन्होंने विक्रमपुर चौकी पर लिखाई पर उनके बताए अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उनकी डाक्टरी हुई थी। फिर उसने आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय में परिव्राद पेश किया। परिव्रादी के परिव्राद पत्र के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय द्वारा धारा 294, 323, 190 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा विचारण प्रारंभ किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 190 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 24.03.12 को विक्रमपुर में नौ बजे फरियादी के खेत पर परिव्रादी को लोकसेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए क्षति की धमकी दी ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— परिव्रादी ने अपने पक्ष के समर्थन में परि.सा. 01 रतिबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— परिवादी साक्षी 01 रतिबाई ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसका आरोपीगण से वाद विवाद हो गया था जिस पर से उसने आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसे रिपोर्ट करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी। परिवादी द्वारा उपरोक्त साक्षी के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि परिवादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण द्वारा उक्त घटना दिनांक को परिवादी को रिपोर्ट करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी गई थी।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि परिवादी अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 190 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)